रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270773
CG-DL-E-09032026-270773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947
No. 155] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 161(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक(भाषा), समूह 'क', पद भर्ती नियम 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक(भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक(भाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक(भाषा)।	150 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु0) ।	लागू नहीं होता ।	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणः** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(7)
आवश्यकः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक या ऐच्छिक विषय के रुप में रहा हो । (ii) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्हित की हो या हिंदी में पी.एच.डी. । **वांछनीयः** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा में अध्ययन किया हो । (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के अधीन किसी शैक्षिक संस्था में हिंदी अध्यापन का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	**टिप्पणीः** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । **टिप्पणः** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा या जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए ।	सीधी भर्तीः सौ प्रतिशत । **टिप्पणः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा संकेगी- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 8 (47600-151100 रू) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हैं ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं होता। **विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मलित हैः** 1. सचिव, राजभाषा विभाग – अध्यक्ष ; 2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग – सदस्य ; 3. निदेशक या उपसचिव, राजभाषा विभाग – सदस्य ; 4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 14034/23/2021-रा.भा.(प्रशि.)]

प्रेम नारायण, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

G.S.R. 161(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Language), Group ‘A’ post Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Language) in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Language) Group ‘A’ post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**-No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Language).	150(2025)*. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not exceeding Thirty Five years of age. **Note:** Relaxable for Government servants upto Five years in accordance with the instructions or orders issue by Central Government. **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.
(7)
Essential : (i) Master's Degree in Hindi with English as a compulsory or elective or optional subject at the degree level from a recognised University or Institute; (ii) National Eligibility Test qualified. or Ph.D in Hindi. **Desirable:** (i) Studied one of the languages other than Hindi, mentioned in Eighth Schedule of the Constitution at 12th class from a recognised Board. (ii) One year experience of teaching Hindi in any educational institution under the Central Government or State Government or Union territory Administration recognised educational institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Competent Authority for reason recorded in writing in the case of candidates otherwise qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
NA.	Remark: Two Year's for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least 02 weeks duration for successful completion of probation or as prescribed by Competent Authority.	Direct Recruitment: Hundred percent. **Note**: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more shall be filled on deputation basis from the officers of Central Government– (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years service in the grade rendered after appointment on regular basis in the pay level-8 in the pay matrix (Rs 47600-151100) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column-(7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not Applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
Departmental Promotion Committee: Not Applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Secretary, Department of Official Language -Chairperson; 2. Joint Secretary, Department of Official Language -Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Official Language -Member; 4. Director, Central Hindi Training Institute -Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 14034/23/2021-OL(Trg.)]

PREM NARAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA